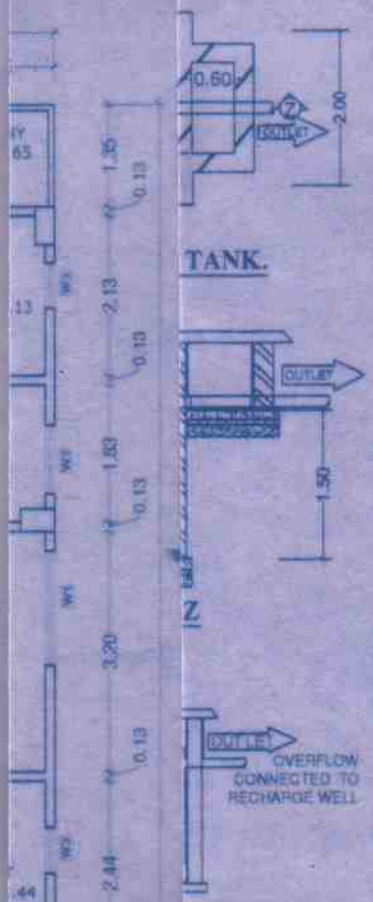


SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

SL.NO.	TYPE	WIDTH	SILL.	HEIGHT
1.	D	1.07	0.00	2.13
2.	D1	0.99	0.00	2.13
3.	D2	0.91	0.00	2.13
4.	D3	0.76	0.00	2.13
5.	W	1.52	0.76	1.83
6.	W1	1.22	0.76	1.83
7.	W2	0.92	1.07	1.52
8.	W3	0.61	1.83	0.61

AREA STATEMENT

TOTAL PLOT AREA AS/SITE	=	1714.05 SQM
TOTAL GROUND FLOOR B/U AREA	=	34.27 SQM
TOTAL 1ST FLOOR B/U AREA	=	825.66 SQM
TOTAL 2ND FLOOR B/U AREA	=	839.11 SQM
TOTAL 3RD FLOOR B/U AREA	=	839.11 SQM
TOTAL 4TH FLOOR B/U AREA	=	839.11 SQM

SIGN. OF OWNER | SIGN. OF ARCHITECT

Building Plan No... 87/16-17

निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र की स्वीकृति दी जाती है।

सरकारी या किसी दूसरे के जमीन का अतिक्रमण नहीं करना होगा, तथा पथ एवं सड़क के लिए बिहार उपविधि 2014 के अनुसार अपनी जमीन छोड़नी होगी। भवन भू-कम्परोधी बनाना होगा तथा भवन से सरकारी नाला तक जल निकासी हेतु अपने खर्च से नाला निर्माण करना होगा।

बरसाती पानी नाली के लिए भूतल पर व्यवस्था करनी होगा। भवन भू-खण्ड विवादित रहने की स्थिति में भवन मानचित्र स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं खड़े किये गये निर्माण अवैध माना जायेगा।

मानचित्र की स्वीकृति केवल तीन वर्ष के लिए मान्य होगी। भवन में रहने के पूर्व NOC प्राप्त करना होगा। तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक / अभियंता की अनुशंसा के आधार पर पारित।

Rajeev 24/6/16 A.E.
24/6/16
U. E.
Nagar Parishad Danapur Nizamat

A.E.
Nagar Parishad Danapur Nizamat

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, दानापुर निजामत

ज्ञापांक :-.....87.. दिनांक :-..24/6/2016

फारम-VII-क

कार्यलय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 162 तिथि- 11.05.2016 के संदर्भ में

श्री मातेश्वरी कन्सट्रक्शन, श्री लक्ष्मी प्रसाद, पिता- स्व0 घूरा प्रसाद, पता-108, हरि ओम कमर्सिल कम्पलैक्स, न्यू डाकबंगला रोड, पटना-1।

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायीक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनःनिर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिर्वतन या परिवर्धन

(ड़) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के प्लौट नं0- 2107 खाता नं0-496, तौजी नं0-3084, थाना नं0- 30, मौजा- जमसौत, थाना-दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखितशर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-..87.... /16-17 है, की स्वीकृति दी जाती है:-

(1) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(3) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1054.09 वर्ग मीटर का पार्किंग एवं ग्रीन एरिया 10% का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(4) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 9.15 मी0 चौड़ाई के वर्तमान पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(5) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(6) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत

क्षेत्रों के अधिनस्थ दानापुर नगर परिषद नगर निगम/नगर परिषद/पंगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 00.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(7) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(8) इस उपबंध के अधिन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(9) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(10) बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करना होगा।

(11) अनुमति जारी किए जाने के पश्चात यदि कोई दस्तावेज या तथ्य छुपाए जो या असत्य पाये जाने की स्थिति में नक्शे की स्वीकृति रद्द करते हुए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014 एवं अन्य संगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(12) भवन निमार्ण के पूर्व विहित प्रपत्र में भवन निर्माण करने की सूचना प्राधिकार को दी जायेगी।

(13) नक्शें में वर्णित सड़क चौडीकरण का भूपट्टी को छोडकर ही भवन की चहारदीवार का निर्माण किया जायेगा।

(14) भवन के निमार्ण के बाद भवन में प्रवेश करने के पूर्व बाईलॉज में वर्णित प्रपत्र के साथ कम्पलिसन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देना होगा। यदि ऐसा नहीं होता हैं तो प्राधिकार स्वीकृत नक्शा को रद्द करने की कारवाई कर सकता है।

(15) प्रधिकार के बाईलॉज के अन्तर्गत वर्णित ऑक्यूपेन्सी सर्टीफिकेट प्राप्त करने के बाद ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

(16) निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शा से किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा। विचलन पाए जाने पर लाईसेन्सी इंजीनियर/आर्किटेक्ट को इसके लिए उत्तरदायी माना जायेगा तथा उनके लाईसेन्स की रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

(17) अगर प्रस्तावित स्थल पर पूर्व से निर्मित संरचना हैं जिसे तोडकर 6 माह के अन्दर हटाने का शपथ पत्र दिया गया हैं तो उसका समयावधि में अनुपालन दृढता से किया जायेगा।

(18) बहुमंजिला भवन के नक्शे में वर्णित अग्निशामन फाईटिंग उपकरण सिस्टम के भी प्रावधान को पूरा कर तथा प्राधिकार के अनुमति प्राप्त कर ही भवन में प्रवेश किया जायेगा।

(19) वर्णित नक्शे में दिखलाये गये पार्किंग एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

(20) महायोजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुसार ही निर्माण कार्य एवं भवन का उपयोग किया जायेगा।

(21) बाईलॉज के उप-विधि 2014 के अनुपालन में आप अपने प्रस्तावित भूखण्ड को 10% भाग में पेड लगाना सुनिश्चित करेगें।

(22) भवन निर्माण के दौरान भूकम्प रोधी तकनीक का प्रावधान करना होगा। बहुमंजिले भवनों के भूकम्प से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों की सूची को निर्माण स्थल पर अनिवार्य रूप से डिसप्ले किया जाय।

(23) पब्लिक बिल्डिंग में अंपग व्यक्तियों (Person's with disabilities) के अवरोध रहित आवागमन का प्रावधान बाईलॉज के अनुरूप सुनिश्चित करना होगा।

(24) स्थल पर बनाये गये साईनबोर्ड पर प्राधिकार से पारित नक्शे की संख्या तथा पारित नक्शे कितने के लिए हैं का उल्लेख किया जाय।

(25) निर्माण स्थल पर प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नक्शे कि एक प्रति अनिवार्य रूप से रखा जाय ताकि प्राधिकार के पदाधिकारी द्वारा स्थल निरिक्षण के समय उनके स्वीकृत नक्शा उपलब्ध हो सके।

(26) रोड चौड़ीकरण हेतु छोड़ी गयी पट्टी में कोई निर्माण कार्य नहीं करेगें एवं छोड़े गये भू-भाग को छोड़ कर चाहर दिवारी का निर्माण करेगें।

16/6/16

कनीय अभियंता
नगर परिषद दानापुर निजामत

24/6/16

सहायक अभियंता
नगर परिषद दानापुर निजामत

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत
24/6/16

ज्ञापांकः- 87 /दिनांकः- 24/6/2016

प्रतिलिपिः- श्री मातेश्वरी कन्सट्रक्शन, श्री लक्ष्मी प्रसाद, पिता- स्व0 घूरा प्रसाद, पता-108, हरि ओम कमर्सिल कम्पलैक्स, न्यू डाकबंगला रोड, पटना-1 को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत
24/6/16